

2010/00044

भोली स्टेशन, मांडवगढ़ पु 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेकी स्टेशन

(कायदा — 129)

सिविल क्लस 129 अपेन्डिक्स फार्म नम्बर 8 के

अधिकारी, विजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

1	मुकदमा 2	दारीय दायर 3	दारीय फंसवा 4	फंसवा कर्मा 5
98-188 R.T.A.	167/10			

अन्याय

श्री दौला प्रेम लाल श्री संग्राम सिंह 3/0 शम्भू सिंह
जालि-धौड़ वर्ग जालि-रायपुर
निवासी राणाजी के गुडा निवासी राणाजी के गुडा

GLA

अभिपक्षता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अभिपक्षता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिक्रीदार

रेस्पॉन्डेंट / सदयुक्ता

श्री _____ श्री _____



नम्बर अहकाम हुकम में जारी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
311/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उग्रयपत उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 1.12.22 को वास्ते पेश हो।	
1/12/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उग्रयपत उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 1.12.22 को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 1.1.23 को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 15.1.23 को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15/2/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् F.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/3/23 को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9/3/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 13/4/23 को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/4/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 20/4/23 को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	
20/4/23	फत्रावली चेरा तुरी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित। फत्रावली वारंटे निर्णय 11/5/23 को पेश हो। /
11/5/23	फत्रावली चेरा तुरी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। फत्रावली वारंटे निर्णय वारंटे दिनांक 08/6/23 को पेश हो। /
8/6/23 15/6	फत्रावली चेरा तुरी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। फत्रावली वारंटे निर्णय दिनांक 15/6/23 को पेश हो। /
15/6/23 22/6	फत्रावली चेरा तुरी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। फत्रावली वारंटे निर्णय दिनांक 22/06/23 को पेश हो। /
22/6/23	फत्रावली चेरा तुरी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। फत्रावली वारंटे निर्णय दिनांक 19/07/2023 को पेश हो। /
19/7/23	फत्रावली चेरा तुरी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। फत्रावली में वारंटे पूर्व में सुनी जा चुकी है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर, डिफेंडी किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, शामिल फत्रावली किया गया। निर्णय सुप्रीम न्यायालय में सुनाया गया। फत्रावली फिल्टर शुभार हो, फत्रावली नम्बर से कम होकर दारिद्र्य दफ्तर हो। /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

राजस्व प्रकरण संख्या 167/2010

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0

दाखर तारीख 29.04.2010

निर्णय दिनांक:- 19/07/2023

अनवान

01. स्व. दोला पिता (मृतबन्ना) लालू जाति धाकड निवासी गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.1 कस्तुरी बाई पत्नि दोला जाति धाकड निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.2 गोपाल पिता दोला जाति धाकड उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.3 सोहनी पुत्री दोला जाति धाकड उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.4 झमकु पुत्री दोला जाति धाकड उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.5 कमली पुत्री दोला जाति धाकड उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

बनाम

.....वादीगण

01. संग्राम सिंह पुत्र शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

.....मृतक

- 1.1 कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह राजपूत
- 1.2 उगम कंवर पुत्री संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग मार्फत माता कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग
- 1.3 युवराज सिंह पिता संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग मार्फत माता कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग

02. तेज सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

.....मृतक

- 2.1 वीर प्रताप सिंह पिता तेज सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग जरिये माता सरोज कंवर पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग
- 2.2 सरोज कंवर पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

03. रघुवीर सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

- 3.1 ओमेन्द्र कंवर पत्नि शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा

04. जनारदन सिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग पेशा खेती निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

05. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियां

.....प्रतिवादीगण



उपस्थित अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारी लाल आचार्य
उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 रा0का0अधि0

-:निर्णय:-

वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। बाद जांच वादपत्र दर्ज योग्य पाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गयी। वादीगण के वादपत्र अनुसार भूतपूर्व गुढा के जागीरदार मनोहरसिंह जी राजपूत के विरुद्ध चले सिलिग प्रकरण संख्या 16 सन 1971 मे जागीरदार मनोहरसिंह के नाम पर दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा संख्या 202 स्थित मोजा आंटी को सिलिग प्रकरण मे हुये निर्णय की क्रियान्वती मे अवाप्त की गयी जिसे बिलानाम सिवायचक दर्ज राजस्व अभिलेख किया गया। उसमे से आवंटन एसे काश्तकारो को किया गया जो आवंटन की विधिक पात्रता रखते है

(Signature)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या:- 02



उसी के तहत उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ़ द्वारा वादीगण क्रमांक 1 से 5 तक के दादा दौला पुत्र लालु धाकड़ को मौजा आटी स्थित आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन विधि अनुसार आवंटी को किया गया। आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा आवंटित भूमि का भोका पर्चा बनाया गया। आवंटित का नक्शा ट्रेस तैयार किया गया। आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को दिये जाने के पश्चात उसकी राजस्व नक्शा ट्रेस गत बन्दोबस्ती नक्शा ट्रेस में आवंटन भूमि तरमीम की गयी। आवंटी से आवंटित भूमि का इकरारनामा तैयार किया जाकर आवंटी की निशानी / हस्ताक्षर करवाये गये। आवंटन प्रक्रिया के अनुसार में नौतोड़ खसरा तैयार किया जाकर बनी वसूली योग्य राशि आवंटी को जमा करवानी थी दर्शाया गया। आवंटी द्वारा आवंटन से प्राप्त कृषि भूमि को उन्नत आबाद कर उसकी जरूरत अनुसार फेसीग कर सिचाई का साधन बनाया जाकर कृषि भूमि का उपयोग प्रारम्भ कर दिया गया। आवंटन वर्ष 1972 से आवंटी ओर उसके पश्चात उसके वारिसान द्वारा आवंटन भूमि काशत की जा रही है।

आवंटन आदेश में जो गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर दर्ज है और आवंटी को कब्जा दिया गया उसका वर्तमान बन्दोबस्त में जो नम्बरान व रकबा बना है उसका वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जिस प्रकार विवरण दर्ज अभिलेख है उसका विवरण इस प्रकार है मौजा आटी पटवार हल्का गुढा स्थित आराजी खसरा नम्बर 453 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा जिस पर वर्तमान में वादीगण का जरिये काशत के कब्जा है, राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटित भूमि का पृष्ठाकन नहीं करने की लापरवाही के कारण सिलिग द्वारा अवाप्त भूमि को वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 की खातेदारी में दर्ज है। जबकि आवंटन के पश्चात न तो तत्कालीन जागीरदार जिसकी भूमि सिलिग में अवाप्त की गयी वह उसके नीजी खाते अथवा उसके वारिसान के खाते में भूमि दर्ज रही क्योंकि सिलिग प्रकरण के निस्तारण के पश्चात अवाप्त भूमि सिवाय चक दर्ज की जाकर प्रतिवादी सख्या 5 के खाते में दर्ज हो जाने की अवधारणा की जायेगी। यदि राजस्व कर्मचारियों ने किसी प्रकार से उदासीनता व लापरवाही बरत अवाप्त भूमि को सिवायचक में दर्ज नहीं किया है तो उसके कारण आवंटन आदेश का निष्प्रभावी होना नहीं माना जा सकता है न ही गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना जाकर उन्हें खातेदार माना जा सकता है। वादीगण जिस खसरा नम्बरान की भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कराने के लिए वादीगण वाद लेकर आये है उस बाबत उनके द्वारा सारा आवंटन रेकर्ड, आवंटन कमेटी की आवंटन हेतु की कार्यवाही का रेकर्ड प्रस्तुत किया गया। किस आवंटी को किस नम्बर की भूमि में कितनी भूमि का आवंटन किया गया उसकी सूची प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार महोदय द्वारा आवंटन की कार्यवाही पूर्ण कर जो दस्तावेज आवंटन कमेटी को भिजवाये गये वे सभी दस्तावेज वादीगण ने प्रस्तुत किये गये हैं वादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी की खातेदारी दिये जाने का अनुतोष मांगा है।

प्रतिवादीगण के द्वारा आवंटी के कब्जे काशत वाली भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना अंकित होने को आधार बनाकर वादीगण के कब्जे काशत में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ करने पर वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 तक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अनुतोष की मांग की गयी। प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 तक न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की पालना में न्यायालय में अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुये जिन्होंने बचाव में अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण का यह बचाव अपने जवाब के माध्यम से लिया कि वादग्रस्त जायदाद गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बरान के खसरा नम्बर 202 पर दर्ज भूमि अवाप्त नहीं की जाकर खसरा नम्बर 202/2 सिलिग प्रकरण में अवाप्त की गयी। सिलिग प्रकरण में खसरा सख्या 202/2 को अवाप्त किया गया। खसरा नम्बर 202 से किया गया आवंटन गलत है। इसलिये खसरा नम्बर 202 में किया गया आवंटन अवैध है खसरा नं० 202 में प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 तक खातेदार है, खसरा नम्बर 202/2 में वादीगण को भूमि का आवंटन हुआ है जिसका प्रतिवादी सख्या 1 व 4 के नाम पर दर्ज भूमि की खातेदारी भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण के द्वारा जो मिलान खसरा प्रस्तुत किया गया है उससे आवंटन का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 की खातेदारी में दर्ज भूमि को न तो आवंटियों का भूमि का आवंटन हुआ है न ही कब्जा दिया गया। आवंटन खसरा सख्या 202 में किया गया जिसे सिलिग कार्यवाही में लिया गया है खसरा सख्या 202/2 का अधिग्रहण नहीं किया गया। खसरा सख्या 202 को खसरा सख्या 202/2 से नहीं जोड़ा जा सकता है। राजस्व रेकर्ड में आवंटन की कियान्विती सम्पादित नहीं हुयी है। इसलिए वादीगण को चाहे गये खसरा नम्बर का खातेदार काशतकार घोषित नहीं किया जा सकता है खसरा नम्बर 453 वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 202 में से बने है इसलिए खसरा सख्या 202 में आवंटन भूमि माना जाकर वादीगण का वाद डिकी नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 तक की खातेदारी भूमि का आवंटन से कोई लेना देना नहीं है। 30 वर्ष बाद भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करवाया जाना वादीगण का उदासीनता पूर्ण कृत्य है। वादीगण को सिलिग प्रकरण में कार्यवाही करवा आवंटन की कियान्विती करना चाहिये। वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है कि किस स्थान पर आवंटन हुआ है स्पष्ट नहीं किया है। वादपत्र खारिज फरमाया



(Signature)
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ जो तत्कालीन समय में आवंटन कमेटी के अध्यक्ष थे उनके द्वारा जारी व हस्ताक्षरित सूची पेश की। आवंटन आदेश की पालना में की गयी आवंटनी के पक्ष की कार्यवाही दस्तावेज तत्कालीन क्षेत्र के तहसीलदार माण्डलगढ की आवंटन कार्यवाही के बाद तैयार सूची जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है पेश की व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये।

प्रतिवादीगण ने एक जमाबन्दी गत बन्दोस्ती में उनके नाम दर्ज भूमि की प्रति पेश की है। प्रस्तुत वादपत्र जवाब दावे एवम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र में तनकीयात कायम की गयी जो इस प्रकार से है।

तनकीयात

01. आया वादीगण मोजा आंटी स्थित कृषि खातेदारी भूमि मोजा आंटी पटवार हल्का गुडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 453 एकबा 3 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी पाने के अधिकारी होकर उनका वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा है
.....जिम्मे वादीगण
02. आया वादी की खातेदारी में अभिलिखित योग्य कृषि भूमि प्रतिवादीगण वर्तमान खातेदार के नाम पर भूमिधारी द्वारा सेवन इन्द्राजी की प्रक्रिया में गलत दर्ज की हुयी है।
.....जिम्मे वादीगण
03. आया प्रतिवादीगण वर्तमान खातेदारान द्वारा अवैध रूप से भूमि का अन्तरण व वादीगण की खातेदारी में हस्तक्षेप भूमि को नष्ट प्रायः करने का प्रयास अनुचित है।
.....जिम्मे वादीगण
04. आया वादीगण वादग्रस्त जायदाद की अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराने बाबत उत्सुक नहीं रहने से राजस्व वाद चलने योग्य नहीं है।
.....जिम्मे वादीगण
05. आया वादीगण को आवंटित की गयी कृषि भूमि की मोका स्थिती स्पष्ट नहीं है।
.....जिम्मे प्रतिवादीगण
06. आया वादपत्र अवधिपार है।
.....जिम्मे प्रतिवादीगण
07. आया वादीगण को वादपत्र लाने की लोकल स्टेण्ड्री नहीं है।
.....जिम्मे प्रतिवादीगण
08. आया वादीगण को जिस खसरा नम्बर भूमि में भूमि आवंटन किया गया उसकी सिलीग प्रकरण में अवाप्त कर भूमि आवंटन नहीं हुयी है।
.....जिम्मे प्रतिवादीगण
09. अनुतोष क्या होगा।

वादीगण से जिन वादीगण की मृत्यु हुयी उनका आवेदन देकर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया साथ ही जैसे जैसे जिन प्रतिवादीगण की मृत्यु हुयी उनका वादीगण ने आवेदन देकर बाद अनुमति न्यायालय मृतक प्रतिवादीगण के स्थार पर प्रतिवादीगण बनाया गया है पी.डब्ल्यू एक वादी व गवाह पी.डब्ल्यू दो व पी.डब्ल्यू 3 के बयान करवाया। वादीगण का पी.डब्ल्यू एक वादी स्वयं ने सशपथ बयान दिया कि वादग्रस्त जायदाद जो उसके पूर्वजों को आवंटित हुयी आवंटन कार्यवाही के कब्जा दिया गया। आवंटन से प्राप्त जायदाद कृषि भूमि को आवंटनी व बाद के कब्जेधारी उन्नत आबाद व सीमाबन्द कर लिया। वादीगण उस पर काबिज होकर काश्त करते हैं। प्रतिवादीगण ने जब वादीगण के कब्जे वाली जायदाद को अपनी खातेदारी भूमि बताकर विवाद व जबरन कब्जा छीनना चाहा तो वादीगण वाद लेकर आये। वादीगण ने अपने प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श करवाया प्रतिवादीगण की ओर से की गयी जिरह से ऐसे कोई तथ्य गवाह की जिरह के प्रतिताौर में नहीं कहा जो प्रतिवादीगण के पक्ष के होकर प्रतिवादीगण के बचाव को सहायता मिली हो न ही कब्जा प्रतिवादीगण का सिद्ध हुआ हो। वादी के प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू 2 व पी.डब्ल्यू 3 ने वादीगण को वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा होने का कथन किया है साथ ही उसने मुख्य परिक्षण द्वारा वादग्रस्त जायदाद पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो जाना स्वीकार किया हा। जिरह में भी प्रतिवादीगण के पूछे गये प्रश्नों का स्वीकार करते हुये प्रतिवादीगण के हितों की बात कही है। वादीगण ने साक्ष्य वादी रिबिटल रिजर्व रखते हुये अपनी साक्ष्य बन्द की।

प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डी.डब्ल्यू एक प्रतिवादीया उपस्थित हुयी जिसने सशपथ कथन किया कि उसके ससुर के खाते की भूमि मोजा आंटी में स्थित है जिस पर हमारा ही कब्जा है हमारे सयुक्त खाते में भूमि दर्ज है। मेने जमाबन्दी की नकल पेश की है भूमि जो सिलिग में गयी उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है हमारी जमीन खाते कराने का वादी ने गलत दावा पेश कर दिया। इस गवाह से जिरह करने पर गवाह ने वादीगण का कब्जा होने से इन्कार किया एवम वादीगण को भूमि आवंटित हुयी होकर कब्जा दिया गया हो उससे इन्कार किया है। प्रतिवादीगण ने अन्य कोई

उप खण्ड अधिकारी
द्वि. जैलियाँ जिला-भीलवाड़ा

बावजूद गवाह पेश करने का अवसर दिये जाने पर भी गवाह पेश नहीं किये प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गयी।

प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9-10 दि०प्र०स० का प्रस्तुत कर कब्जे बावत मोका रिपोर्ट मंगवाने का प्रस्तुत किया। वादीगण ने प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर बहस की कि पक्षकारान को अपनी जबानी ओर दस्तावेजी साक्ष्य से वाद व प्रतिवाद का सिद्ध करवाना होता है। वह अपनी साक्ष्य में रही कमी को दूर करने के लिए न्यायालय को माध्यम बना मोका रिपोर्ट नहीं मंगवा सकता। न ही न्यायालय ऐसा कोई आदेश देगा जिससे यह स्थिती बनती हो कि पक्षकार न्यायालय अधिकारी का अनावश्यक उपयोग अपने पक्ष में करने के लिए साक्ष्य एकत्रित करवाने हेतु कमीशनर रिपोर्ट भी मंगवाने का प्रार्थनापत्र लेकर आया हो। बहस सुनने के पश्चात प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन पाये जाने से खारिज किया गया।

दोनों पक्षों की ओर से बहस की गयी।

वादीगण के अभिभाषक बहस करते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वज आवंटियों को सिलिग प्रकरण में जागीरदार की अवाप्त भूमि के भूमि का आवंटन किया गया क्योंकि अवाप्ती के पश्चात भूमि सिवाय चक बिलानाम भूमि के रूप में दर्ज की गयी थी आवंटन की गयी भूमि राजस्व अनिलेखों में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि का चयन किया जाता है जिसकी पटवारी की आवंटन हेतु भूमि मय भू अनिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन हेतु उपलब्धता की जांच कर प्रतिवेदन आवंटन कमेटी के समक्ष रखता है तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी सिलिग प्रकरण में प्रभावी अवाप्त भूमि का आवंटन हेतु मात्र कृषक कार्तकारों को किया जाता है। न्यायालय में वादीगण की ओर से उपखण्ड अधिकारी महोदय जो आवंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा जिस आवंटनी कार्तकारों का अवाप्त भूमि का आवंटन किया गया उसकी सूची प्रस्तुत की है जिसे तहसीलदार को मोके पर नियमानुसार पालना के निर्देश के साथ भिजवायी सूची एवं आवंटन आदेश की पालना तैयार किये गये कागजात पेश किये हैं।

तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार पटवारी हल्का ने आवंटियों को भूमि मोके पर पैमूद कर कब्जा दिया एवम अपने नक्शे में उसकी तरमीम की गयी। नक्शा नोटोड बनाया गया लगान का निर्धारण किया गया एवम आवंटनी से लिखवाये जाने वाले इकरारनामे की आवंटनी से पूर्ति करवाये आवंटन आदेश की पालना तैयार किये दस्तावेज तत्कालीन तहसील कार्यालय माण्डलगढ में प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार माण्डलगढ ने आवंटन आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का और भू निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजों के आधार पर सूची बनाकर तत्काली उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के समक्ष रखी गयी जिसे उपखण्ड अधिकारी महोदय ने नियमानुसार आवंटन आदेश पालना हो जाना मानकर सभी दस्तावेज सिलिग प्रकरण की पत्रावली पर रखे जाने के आदेश दिये थे जिसकी वादीगण ने प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है। वादीगण द्वारा भूमि आवंटित होने को जरिये साक्ष्य वादी एवम उसके गवाह से पुष्टी करवायी गयी व कब्जा वादीगण का होने को सिद्ध करवाया गया है। इसके विपरित प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई निष्पक्ष साक्ष्य नहीं करवायी है प्रतिवादिया स्वयं पेश व हुयी व हितबद्ध गवाह है इसलिए अकेली की साक्ष्य से प्रतिवादिया का कब्जा सिद्ध नहीं हुआ है वादीगण का डिकी फरमाया जावे।


प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया है वादीगण वादग्रस्त जायदाद के खातेदार उनके खाते में गत बन्दोबस्त में दर्ज रहे खसरा नम्बर 202/2 जिस जागीरदार के विरुद्ध सिलिग प्रकरण चला उसके खाते में दर्ज भूमि नहीं थी। सिलिग प्रकरण में गत बन्दोबस्ती खसरा सख्या 202 नम्बर की भूमि अवाप्त की गयी जिसके वर्तमान बन्दोबस्त खसरा नम्बर जिसकी खातेदारी लेने के लिए वाद लाया गया। व नहीं बने है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर वादीगण का कोई प्रकरण नहीं बनता है वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है वादपत्र भी अवधिपार है एवम वादीगण को वाद लाने की कोई पात्रता नहीं है।

दोनों पक्षों के द्वारा की गयी बहस साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवम मनन किया गया इसके आधार पर प्रत्येक तनकी का निर्णय न्यायालय के मतानुसार निम्नानुसार है।

तनकी न० 1

इन तथ्यों को सिद्ध करवाने का भार वादीगण पर है वादग्रस्त जायदाद जिसका आवंटन वादीगण के पूर्वजों को किया गया उसके सम्बन्ध में वादीगण की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये हैं जिसमें तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के द्वारा जिन व्यक्तियों को सिलिग में अवाप्त की गयी भूमि का आवंटन किया उसकी सूची पत्रावली पर मौजूद है जिसमें वादीगण के पिता देवीलाल जी को सात बीघा का आवंटन गत बन्दोबस्ती खसरा सख्या 202 में किया जाना दर्शाया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ की आवंटन सूची में अंकित किया गया है कि निम्न आवंटियों को सिलिग में अवाप्त भूमि का आवंटन का आदेश दिया जाता है यह आदेश सूची उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के हस्ताक्षर से उनके कार्यालय से जारी की जाकर तत्कालीन तहसील माण्डलगढ में भिजवायी गयी।




उप खण्ड अधिकारी
बिजौरियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या:- 05

उक्त आवंटन आदेश की पालना आवंटि के पक्ष में पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने की वे सभी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है साथ ही आवंटन कार्यवाही पूर्ण होने के बाद तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आवंटन की कियान्वती बाबत जो कागजात उनके अधिनस्थ कर्मचारियों ने तैयार किये उपखण्ड कार्यालय में प्रेषित कर दिये गये। इस प्रकार आवंटि को भूमि आवंटित हुयी है।

वह संदेहास्पद नहीं है जहा तक खसरा नम्बरान का अन्तर प्रतिवादीगण के अभिभाषक की ओर से की गयी आपत्ती पर विचार करने का प्रश्न है जिससे यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 202 के टुकड़े कर दर्ज की गयी वह भूमि सिलिग से प्रभावी नहीं है। यदि किसी बड़े रकबे वाली भूमि है उसको दो हिस्सों में बाटा जाता है तो इसको इस प्रकार से राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख किया जाता है मूल खसरा नम्बर को मीन शब्द अंकित कर राजस्व रेकॉर्ड पर रखा जाता है उसके पश्चात बटा नम्बरान मूल नम्बर के नीचे 1, 2 3 वगैरा दर्ज राजस्व अभिलेख किये जाते है इससे स्पष्ट है कि आवंटन भूमि मूल नम्बर 202 है तो उसके साथ मीन शब्द नहीं है संभवत मनन करने बाद ऐसा लगता है कि जो खसरा नम्बर 202 का विभाजन होना बताकर खसरा संख्या 202/2 अलग नम्बर डाला गया है वह सन्देह उत्पन्न करने वाला है जो सम्भवत न्यायालय द्वारा की जा रही सिलिग कार्यवाही से अवाप्त भूमि के बाद हुयी आवंटन की कार्यवाही से बचने के लिए खसरा नम्बर 202 को टुकड़ों में विभाजित करवा कर प्रतिवादीगण ने अपने खाते में दर्ज करवायी हो।

यदि प्रतिवादीगण के आवंटन आदेश एवम आवंटन कार्यवाही के नम्बरान में आये अन्तर को माना जाकर यह तनकी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है तो यह स्थिती बनेगी कि आवंटन अधिकारी ने आवंटन ही गलत किया जबकि ऐसा कयास करना जिम्मेदार अफसर के लिए उचित नहीं होगा क्योंकि भूमि की रिक्कता या उपलब्धता की रिपोर्ट होने पश्चात ही भूमि का आवंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि दर्ज भूमि को प्रतिवादीगण आवंटन नहीं मानते है और वर्ष 1972 के पश्चात से भूमि वादीगण के कब्जे में थी तो प्रतिवादीगण खातेदारों ने यह आपत्ती सक्षम अधिकारी के समक्ष क्यो नहीं की। क्योकि सिलिग कार्यवाही में यदि अन्य खातेदार की भूमि अवाप्त कर ली जाती ओर उसका आवंटन किया जाता है तो सिलिग कार्यवाही का प्राधिकृत अधिकारी उसे खारिज कर सकता है प्रतिवादीगण ने इस बाद से पूर्व कभी सक्षम अधिकारी के यहा आवंटन को निरस्त कराने अथवा आवंटन का कब्जा हटाने की कार्यवाही करवायी नहीं करवाई जबकि आवंटन का वर्ष 1972 है जिसको काफी लम्बा समय व्यतीत हो चुका है ओर वादीगण के तर्क एवम साक्ष्य के अनुसार आवंटि ने भारी लागत लगा दी है वादीगण ने मिलान खसरे की नकल पेश कर जिस खसरा नम्बर को अपने खाते में दर्ज कराने का अनुतोष मांगा है वह भी सिद्ध हुआ है इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता ।

तनकी न0 02 :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है जो रेकॉर्ड न्यायालय में आवंटन सम्बन्धित पेश हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त जायदाद आवंटि को आवंटित हुयी उसकी कियान्वती भी मोके पर की गयी इसके सम्बन्ध में आवंटन सामग्री उपलब्ध है साथ ही नये बने नम्बरान का मिलान खसरा भी उपलब्ध है। कब्जे वाले कालम में आवंटि का नाम दर्ज है इससे स्पष्ट है कि आवंटि को जिस स्थान का कब्जा दिया गया उसी नम्बर वाले स्थान पर उसका कब्जा है। प्रतिवादीगण यह स्पष्ट नहीं कर पाये की खसरा संख्या 202/2 उनके खाते में से आयी। क्योकि जो सिलिग प्रकरण चला उसमें जागीरदार की खातेदारी में दर्ज भूमि उसके पास सिलिग अधिनियम रखे जाने योग्य भूमि उसके लिये छोडी गयी जिसमें उसके परिवार की यूनिट बनाकर जमीन उनकी खातेदारी में छोडी गयी। यह तो स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज ही गांव गुढा के जागीरदार थे व प्रतिवादीगण के पूर्वज छूट भाईयो में थे रूल आफ प्रिभिजीनेचर के अनुसार गदासीन जागीरदार ही सम्पूर्ण जागीर सम्पति का मालिक था ओर छूट भया को गुजर लायक सम्पति दी जाती थी। इसलिए जागीरदार ने जो भूमि सरेण्डर के ओपशन के तहत भूमि सरेण्डर की वह अवाप्त कर ली गयी ओर उसी का आवंटन आवंटियों को किया गया। यदि सरेण्डर की कार्यवाही में नम्बरान इधर उधर कर दिये गये तो इससे सिलिग की अवाप्ती कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पडेगा। न ही जिसके खाते में सिलिग कार्यवाही के विपरित भूमि किसी खातेदार के खाते चढायी गयी ओर बन्दोबस्त कार्यवाही में उसी के नम्बर जो बने उसे खातेदार व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि दर्ज की गयी है तो वह सही नहीं है प्रतिवादीगण ने अपने तर्क के समर्थ में वे ही प्रारम्भ से खातेदार है राजस्व रेकॉर्ड एवम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जो रेकॉर्ड पेश किया गया वह भी सिलिग कार्यवाही का समकालीन है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।



S
उप खण्ड अधिकारी
बिजौर जिला, झारखण्ड

लगातार पेज संख्या:- 06

तनकी क्रम 3:-

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार भी वादीगण के जिम्मे है। प्रस्तुत आवंटन रेकॉर्ड से यह साबित है कि आवंटनी को मोके पर कब्जा दिया गया मिलान खसरा में भी आवंटनी का कब्जा दर्ज है उससे भी स्पष्ट है कि आवंटनी का कब्जा भी चाही गयी खातेदारी भूमि पर है जिसको मिलान खसरे के इन्दाज एवम अपनी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से भर सिद्ध करवाया है कि वादीगण का जिस खसरा नम्बर की भूमि को अपने नाम करवाना चाह रहा है। उस पर वादीगण का जरिये काशत के कब्जा है स्थाई फेसिंग होकर सिवाई का साधन बना हुआ है। प्रतिवादीगण ने केवल इस आधार पर बचाव लिया है कि भूमि वर्तमान में उनके खाते में है गलत आवंटन से आवंटनी को भूमि का आवंटन हुआ है। केवल खातेदारी में भूमि दर्ज हो जाने से अब तक वैध खातेदार होना प्रतिवादीगण साबित नहीं करवाते वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो राजस्व रेकॉर्ड वादीगण ने पेश किये हैं उससे स्पष्ट है कि सिलिंग की कार्यवाही से अवाप्त हुयी भूमि में ही आवंटनी को आवंटन हुआ है व कब्जा भी दिया गया है यह नहीं माना जा सकता कि राजस्व अधिकारियों ने किसी अन्य खातेदार के खाते में दर्ज भूमि का आवंटन राजस्व रेकॉर्ड के विपरित किया गया हो। वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा उनके कब्जे वाली भूमि में जबरन कब्जा करने के प्रयास के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है साथ ही आवंटित भूमि प्रतिवादीगण खातेदार के खाते में भूमि दर्ज होने का कथन करते हुये खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को खातेदारी दिये जाने का अनुतोष मांगा है। प्रतिवादीगण जरिये कोस क्ले में आवंटन अवैध घोषित कराने का भी अनुतोष नहीं मांगा है न ही वादपत्र प्रस्तुत होने बाद सक्षम न्यायालय में आवंटन को खारिज कराने के लिए सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही करवायी है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त जायदाद पर उनका कब्जा है किसी निष्पक्ष साक्ष्य द्वारा साबित भी नहीं करवाया है कि किस रूप में वे काबिज हैं न ही कोस क्लेम द्वारा वादीगण का कब्जा हटाने का अनुतोष मांगा गया है इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी न0 4

उक्त तनकी को वादीगण के जिम्मे किया जाना तनकी पर्चा में अंकित किया गया है जबकि तनकी को पढ़ने से स्पष्ट है कि इसको सिद्ध करवाने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे होना चाहिये। इसको ध्यान में रखते यह तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे की मानते हुये निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है। वादीगण द्वारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत वाद लाया गया है उसके लिए मियाद सीमा राजस्थान काशतकारी अधिनियम में दी गयी सारणी में तय नहीं की गयी है हितवद्द व्यक्ति कभी भी खातेदारी लेने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है कानून के अवलोकन से यह स्थिती स्पष्ट हुयी है। इसलिए वादीगण के वाद का अवधि पार होना नहीं माना जा सकता है। यहा यह उल्लेख करना न्यायालय उचित समझता है कि राजस्व रेकॉर्ड का सही तरिकके से पोषण करना ओर राजस्व रेकॉर्ड में धटनानुसार प्रविष्टिया करना राजस्व कर्मचारियों के कर्तव्यो में है। आवंटन के आधार पर आवंटनी के खाते में भूमि दर्ज करने में यदि सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियों ने उदासीनता व लापरवाही बरतते हुये नहीं की है तो इसके लिए न तो आवंटनी की गलती मानी जा सकती है न वादीगण का अनुतोष स्वीकार करने से इन्कारी की जा सकती है। राजस्व रेकॉर्ड में समय के चलते उसके खाते में भूमि दर्ज नहीं की गयी। उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

तनकी न0 5

यह तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे की है प्रतिवादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार आवंटनी के यह कथन करके आये है कि जिस स्थान पर वादीगण मोजा आटी की वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो काशत करना कह कर आये है वहा उनका कब्जा नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण के संज्ञान में दावा पेश करने की दिनांक से है कि वादीगण का कब्जा किस स्थान पर है। वादीगण ने जो आवंटन के पश्चात तहसीलदार मोके पर आवंटन आदेश की पालना में आवंटनी को कब्जा दिया गया नक्शा भी पेश हुआ है जो स्पष्ट करता है कि वादीगण को किस स्थान पर कब्जा दिया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार भी एक पक्ष है जिसने वादीगण के वाद का जवाब प्रस्तुत कर आवंटन व उसकी पालना में कब्जा आवंटनी को दिये जाने से इन्कार नहीं किया है। इसलिए इस तनकी निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

तनकी न0 6

यह तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे की है इसका निर्णय भी तनकी न0 4 के विस्तृत निर्णय के समय किया जा चुका है इसलिए पुनः उन्ही तथ्यो को दोहराते हुये निर्णय किया जाता है उसी अनुसार इस तनकी की प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।



S
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तनकी संख्या 7

इस तनकी को सिद्ध करवाने का भार प्रतिवादीगण को जिम्मे है। प्रतिवादीगण व तहसील द्वारा यह कथान नहीं किया गया कि जिस खसरा नम्बर की भूमि की खातेदारी मांगी गयी उस बाबत वादीगण के कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हे भूमि का आवंटन नहीं किया गया है जबकि वादीगण ने आवंटन आदेश से लेकर कब्जा देने की सारे राजकीय कार्यवाही के दस्तावेज पेश किये है इसलिए उन्हे कानूनी अधिकारिता है कि आवंटित भूमि को अपने नाम करवाने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत करे। इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि वादीगण को वाद लाने की लोकस स्टेण्डी नहीं है। इसलिए उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

तनकी न0 8

इस तनकी को सिद्ध करवाने का भार प्रतिवादीगण पर है किसी भी तनकी का निर्णय पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों के परिपेक्ष एवम पत्रावली पर आयी साक्ष्य से किया जाना निदेशित है जो आवंटन सूची उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ की पेश हुयी है इसके अतिरिक्त आवंटन कार्यवाही की पालना मे तैयार किये गये दस्तावेज भी पत्रावली पर मौजूद है। प्रतिवादीगण ने किसी दस्तावेज या साक्ष्य से यह साबित नहीं करवाया है कि खसरा संख्या 202 के टुकड़े किये जाकर खसरा संख्या 202/2 कब अलग दर्ज किया गया। यदि खसरा संख्या 202/2 जो खसरा संख्या 202 के टुकड़े कर दर्ज किया गया। आवंटन के समय यदि प्रतिवादीगण उसके खातेदार थे तो उन्हे आवंटन अधिकारी के समक्ष उजरदारी पेश करनी थी या आवंटन को निरस्त कराने के लिए समक्ष अधिकारी के समक्ष अपील या निगरानी पेश करनी थी प्रतिवादीगण आवंटन को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की न कोई कोस वलेम वाद मे पेश किया है न्यायालय को यह विश्वास दिलाने की कोई साक्ष्य रेकॉर्ड पर नहीं है कि आवंटन की कियान्वती खातेदारो की खातेदारी भूमि मे की गयी। न ही तहसीलदार जो प्रकरण मे पक्षकार है उसने आपती की है कि आवंटि को आवंटित भूमि का सेवन से प्रतिवादीगण की खातेदारी मे कियान्वती कर दी गयी। इसलिए उक्त तनकी निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

--:आदेश:-

वादपत्र मे तनकी संख्या 1 से 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष मे ओर तनकी संख्या 4 से 8 तक निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा किया गया है इसलिए वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है वादीगण को मौजा आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ स्थित आराजी खसरा नम्बर 453 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसके साथ ही राजस्व अभिलेखों मे उपरोक्त भूमि को प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे वाली भूमि मे वादीगण को काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नहीं करे न जबरन कब्जा कर भूमि को अपने कब्जे मे लेवे।

निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे निर्णय आज दिनांक 19/07/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।



(Signature)
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(Signature)
(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

राजस्व प्रकरण संख्या 167/2010

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0

दायर तारीख 29.04.2010

निर्णय दिनांक- 19/07/2023

अनवान

01. स्व. दोला पिता (मृतबन्ना) लालू जाति धाकड़ निवासी गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.1 करतुरी बाई पत्नि दोला जाति धाकड़ निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.2 गोपाल पिता दोला जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.3 सोहनी पुत्री दोला जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.4 झमकू पुत्री दोला जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
- 1.5 कमली पुत्री दोला जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

बनाम

.....वादीगण

01. संग्राम सिंह पुत्र शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

.....मृतक

- 1.1 कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह राजपूत
- 1.2 उगम कंवर पुत्री संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग मार्फत माता कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग
- 1.3 युवराज सिंह पिता संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग मार्फत माता कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग

02. तेज सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

.....मृतक

- 2.1 वीर प्रताप सिंह पिता तेज सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग जरिये माता सरोज कंवर पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग
- 2.2 सरोज कंवर पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

03. रघुवीर सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

- 3.1 ओमेन्द्र कंवर पत्नि शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा

04. जनारदन सिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग पेशा खेती निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

05. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियां

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 रा0का0अधि0

डिक्री दिनांक :- 19/07/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल आचार्य एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है वादीगण को मौजा आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां स्थित आराजी खसरा नम्बर 453 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसके साथ ही राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त भूमि को प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या:-02


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा




प्रतिवादीगण को इस आशय की रखाई निकेधाड़ा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे वाली भूमि में वादीगण को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे न जबरन काबजा कर भूमि को अपने कब्जे में लेवे। डिक्ली मुर्तिब हो।

नीज Nil मुबलिंग Nil
 बाबत Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व राहर Nil फीस की
 सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा
 करे।


बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 07 वर्ष 2023 को जारी किया गया।


 (सीमा तिवाड़ी)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		


 (सीमा तिवाड़ी)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां




 उप खण्ड अधिकारी
 बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा